महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांकःरू.वि. / गोप. / प्रयो.मौ. / 2025 / 527-534 दिनांकः–07.05.2025

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

विषयः– **नई शिक्षा नीति–2020 से अच्छादित स्नातक स्तर पर पाठ्यकम (बी0ए0, बी0एस–सी0, बी0कॉम–द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठ्म सेमेस्टर, बी0एस–सी0 गृहविज्ञान–द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर तथा बी0बी0ए0–रिटेल / हेल्थ केयर–द्वितीय सेमेस्टर) इत्यादि पाठ्यकमों की सम सेमेस्टर की बाह्य प्रयोगात्मक / आन्तरिक परीक्षा सम्पन्न कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय / महोदया,

नई शिक्षा नीति–2020 से अच्छादित स्नातक स्तर पर पाठ्यकम (बी0ए0, बी0एस–सी0, बी0कॉम–द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठ्म सेमेस्टर व बी0एस–सी0 गृह विज्ञान–द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर तथा बी0बी0ए0–रिटेल / हेल्थ केयर–द्वितीय सेमेस्टर) इत्यादि पाठ्यकमों की सम सेमेस्टर सत्र 2024–25 की प्रयोगात्मक परीक्षाओं में ऐसे महाविद्यालय जिसमें छात्रों की संख्या 25 से कम होने पर निम्न व्यवस्था लागू रहेगी–

1. ऐसे महाविद्यालय जहाँ प्रयोगात्मक / मौखिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या 25 से कम हो, वे अन्य महाविद्यालय से परस्पर सहमति के आधार पर नियमानुसार प्रयोगात्मक / मौखिक परीक्षा सम्पन्न करा सकते हैं, लेकिन अंक अपलोड प्रत्येक दशा में नियुक्त परीक्षक द्वारा ही किये जायेगें।
2. ऐसे महाविद्यालय जो परस्पर सहमति के आधार पर अन्य किसी महाविद्यालय में प्रयोगात्मक / मौखिकी परीक्षा सम्पन्न कराना चाहते हैं उस महाविद्यालय के सहमति पत्र के साथ पूर्ण जानकारी (परीक्षा केन्द्र का नाम (कालेज कोड़ सहित) / सम्बद्ध महाविद्यालय का नाम (कालेज कोड़ सहित) / पाठ्यकम / कक्षा / विषय / पेपर कोड़ / छात्रों की संख्या) सहित महाविद्यालय के लेटर हेड पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनॉक 15.05.2025 तक प्रत्येक दशा में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में उसी महाविद्यालय के केन्द्र पर प्रयोगात्मक / मौखिकी परीक्षा सम्पन्न करायी जायेगीं।

शेष नियम पूर्ववत् रहेगें।

भवदीय

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. डा0 अमित सिंह, मीडिया प्रभारी।
2. उप–कुलसचिव (गोपनीय)।
3. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेवसाइट को विश्वविद्यालय की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. प्रभारी, ऑनलाइन एजेन्सी।
5. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
6. वै0 सहायक, कुलसचिव।
7. प्रशासनिक अधिकारी (गोपनीय)।

परीक्षा नियंत्रक